रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2008/वैशाख 15, 1930
No. 241] NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2008/VAISAKHA 15, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2008

सं. 59/2008-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 333(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3 , उप-खण्ड (i) संख्या सा.का.नि. 360 (अ), दिनांक 16 मई, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 55/2001-सीमा शुल्क, दिनांक 16 मई, 2001 को एतद्द्वारा निरस्त माना जाएगा ।

[फा. सं. डीजीईपी/एफटीपी/13/2008-ईओयू एंड जीएंडजे]

असीम कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 55/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 16 मई, 2001 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 360(अ), दिनांक 16 मई, 2001, के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 76/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जून, 2007 द्वारा सं. सा.का.नि. 417 (अ), दिनांक 6 जून, 2007 के जरिए किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

No. 59/2008-CUSTOMS

G.S.R. 333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2001-Customs, dated the 16th May, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 360(E), dated the 16th May, 2001.

[F.No. DGEP/FTP/13/2008-EOU&G&J]

ASEEM KUMAR, Under Secy.

Note:— The principal notification No. 55/2001-Customs, dated the 16th May, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 360 (E), dated the 16th May, 2001 and was last amended by notification No. 76/2007-Cus., dated the 6th June, 2007 published *vide* G.S.R. 417 (E), dated the 6th June, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2008

सं. 60/2008-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 334(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) सं. सा.का.नि. 274 (अ), में प्रकाशित, दिनांक 31 मार्च, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003, में निम्नलिखित पुन: संशोधन किया जायेगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ की शर्त (3) में, उप-शर्त (घ) में, खण्ड (i) में उप-खण्ड (ii) के पश्चात्, परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि —

(क) जहां किसी एस आई ओ एन को अधिसूचित नहीं किया गया है, मदों की 2 प्रतिशत मात्रा तक कचरा, कूड़ा और अवशेष के उत्पादन की अनुमति होगी;

(ख) जहां एस आई ओ एन में दी गई मदों के अलावा अतिरिक्त मदें निविष्टि के रूप में अपेक्षित हों अथवा जहां कचरा, कूड़ा और अवशेष का उत्पादन निविष्टि के परिमाण के 2 प्रतिशत से अधिक हो, ऐसे माल के स्व-घोषित मानदंडों के आधार पर उपयोग की अनुमति होगी जब तक कि स्व-घोषित मानदंडों की तिथि से तीन महीने की अवधि के अन्दर क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त द्वारा तद्र्थ आधार पर ऐसे मानदंड निर्धारित नहीं कर दिए जाते हैं और जब तक कि इकाई इस बात की शपथ नहीं लेती है कि मानक समिति द्वारा अंतिम रूप से उस इकाई के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार स्व-घोषित/ तद्र्थ मानदंड समायोजित कर दिए जाएंगे । अंतिम मानदंड को मानक समिति द्वारा बद्ध किए जाने तक तद्र्थ मानकों को जारी रखा जाएगा ।

(ग) अधिक संख्या में निविष्टि के प्रयोग, निविष्टि की खपत के परिमाण में ज्यादा घट-बढ़ अथवा ऐसे अन्य कारकों जोकि विशिष्ट इकाई के मामले में एस आई ओ एन के निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, के कारणों से मानक समिति ऐसे मामले को निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड को भेजेगी ।"

(ii) पैराग्राफ 4 में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् खण्ड (अ) में, शब्दों के लिए "पूंजीगत माल की निकासी अथवा परिव्यक्तिकरण की अनुमति निकासी व परिव्यक्तिकरण की तिथि पर लागू शुल्क दर तथा उसके मूल्यह्रास पर शुल्क भुगतान पर दी जायेगी" निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"पूंजीगत माल की निकासी अथवा परिव्यक्तिकरण की अनुमति निकासी व परिव्यक्तिकरण की तिथि पर लागू शुल्क दर तथा उसके मूल्यह्रास पर शुल्क भुगतान पर दी जायेगी, यदि इकाई ने एन एफ ई के सकारात्मक मापदण्ड की पूंजीगत माल में मूल्यह्रास जोकि निकासी या परिव्यक्तिकरण की तिथि को देय है के अनुसार उपलब्धि की है। एन एफ ई के सकारात्मक मापदण्ड की उपलब्धि के असफल हो जाने पर पूंजीगत माल पर मूल्यह्रास की एन एफ ई की उपलब्धि के समानुपात में अनुमति दी जायेगी।"

(iii) पैराग्राफ 13 के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, क्रम संख्या (xiii) और इससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जायेगी अर्थात् :-

"(xiv)"मानक समिति" का अर्थ है विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले इनपुट आउटपुट मानकों और मूल्य परिवर्धन मानकों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार के महनिदेशालय में मानक समिति ।"

[फा. सं. डीजीईपी/एफटीपी/13/2008-ईओयू एंड जीएंडजे]

असीम कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 274 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 47/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 द्वारा सं. सा.का.नि. 281 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के जरिए किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

No. 60/2008-CUSTOMS

G.S.R. 334 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 274(E), dated the 31st March, 2003, namely :—

In the said notification,—

(i) in the condition (3) of opening paragraph, in sub-condition (d), in clause (I), after sub-clause (ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that —

(a) where no SION have been notified, the generation of waste, scrap and remnants up to 2% of input quantity shall be allowed;

(b) where additional items other than those given in SION are required as input or where generation of waste, scrap and remnants is beyond 2% of the input quantity, use of such goods shall be allowed on the basis of self-declared norms till such norms are fixed on *ad hoc* basis by the jurisdictional Development Commissioner within a period of three months from the date of self declared norms and the unit shall undertake to adjust the self-declared/*ad hoc* norms in accordance with norms as finally fixed by the Norms Committee for the unit. The *ad hoc* norms will continue till such time the final norms are fixed by the Norms Committee;

(c) in case of utilization of a large number of inputs, wide variation in quantum of consumption of inputs or such other factors which render such fixation of SION difficult in the case of a particular unit, the Norms Committee may refer the case to the Board of Approval for a decision.";

(ii) in the paragraph 4 , after the second proviso, in the clause (a), for the words "such clearance or debonding of capital goods may be allowed on payment of duty on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of debonding or clearance, as the case may be.", the following shall be substituted, namely :—

"such clearance or debonding of capital goods may be allowed on payment of duty on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of debonding or clearance, as the case may be, if the unit has fulfilled the positive NFE criteria taking into consideration the depreciation allowable on the capital goods at the time of clearance or debonding. In case of failure to achieve the said positive NFE, the depreciation shall be allowed on the value of capital goods in the same proportion as the achieved portion of NFE.";

(iii) after paragraph 13, in the Explanation, after serial number (xiii) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:

"(xiv) "Norms Committee" means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by the Director General of Foreign Trade."

[F. No. DGEP/FTP/13/2008-EOU&G&J]

ASEEM KUMAR, Under Secy.

Note: —The principal notification No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 (i) *vide* G.S.R. 274 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 47/2008-Customs, dated the 11th April, 2008 published *vide* G.S.R. 281 (E), dated the 11th April, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2008

सं. 26/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 335(अ).—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र निर्मित वस्तुएं), अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात पर संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, जिन्हें एतश्मिन पश्चात् दी गई सारणी की प्रविष्टि (2) में दिया गया है, में उनके सामने सारणी की प्रविष्टि (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन तथा आगे भी संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	22/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2003 सा.का.नि. 265 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003	उक्त अधिसूचना में,- (i) प्रारंभिक पैराग्राफ की शर्त (4) में, खण्ड (क) में, उप-खण्ड (ii) के पश्चात्, परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "बशर्ते कि (क) जहां किसी एस आई ओ एन को अधिसूचित नहीं किया गया है, मदों की 2 प्रतिशत मात्रा तक कचरा, कूड़ा और अवशेष के उत्पादन की अनुमति होगी; (ख) जहां एस आई ओ एन में दी गई मदों के अलावा अतिरिक्त मदें निविष्टि के रूप में अपेक्षित हो अथवा जहां कचरा, कूड़ा और अवशेष का उत्पादन निविष्टि के परिमाण के 2 प्रतिशत से अधिक हो, ऐसे माल के स्व-घोषित मानदंडों के आधार पर उपयोग की अनुमति होगी जब तक कि स्व-घोषित मानदंडों की तिथि से तीन महीने की अवधि के अन्दर क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर ऐसे मानदंड निर्धारित नहीं कर दिए जाते हैं और जब तक कि इकाई इस बात की शपथ नहीं लेती है कि मानक समिति द्वारा अंतिम रूप से उस इकाई के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार स्व-घोषित/तद्र्थ मानदंड समायोजित कर दिए जाएंगे । अंतिम मानदंड को मानक समिति द्वारा बद्ध किए जाने तक तद्र्थ मानकों को जारी रखा जाएगा । (ग) अधिक संख्या में निविष्टि के प्रयोग, निविष्टि की खपत के परिमाण में ज्यादा घट-बढ़ अथवा ऐसे अन्य कारकों जोकि विशिष्ट इकाई के मामले में एस आई ओ एन के निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, के कारणों से मानक समिति ऐसे मामले को निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड को भेजेगी । (ii) पैराग्राफ 8 में, परन्तुक के पश्चात्, खण्ड (i) में, शब्दों के लिए "पूंजीगत माल की निकासी अथवा परिव्यक्तिकरण की अनुमति निकासी व परिव्यक्तिकरण की तिथि पर लागू शुल्क दर तथा उसके मूल्यह्रास पर शुल्क भुगतान पर दी जायेगी।" निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "पूंजीगत माल की निकासी अथवा परिव्यक्तिकरण की अनुमति निकासी व परिव्यक्तिकरण की तिथि पर लागू शुल्क दर तथा उसके मूल्यह्रास पर शुल्क भुगतान पर दी जायेगी यदि इकाई ने एनएफई के सकारात्मक मापदण्ड की पूंजीगत माल में मूल्यह्रास जो कि निकासी या परिव्यक्तिकरण की तिथि को देय है के अनुसार उपलब्धी की है। एन एफ ई के सकारात्मक मापदण्ड की उपलब्धी के असफल हो जाने पर पूंजीगत माल पर मूल्यह्रास की एन एफ ई की उपलब्धी के समानुपात में अनुमति दी जायेगी ।" (iii) पैराग्राफ 13 के पश्चात् स्पष्टीकरण में, क्रम संख्या (xii) और इससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)

"(xiii) "मानक समिति" का अर्थ है विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले इनपुट आउटपुट मानकों और मूल्य परिवर्धन मानकों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार के महानिदेशालय में मानक समिति।"

2. 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक, 31 मार्च, 2003, सा.का.नि. 266(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क.	(i) 50 से 63 तक;	(i) वस्त्र एवं वस्त्र निर्मित वस्तुएं;	निर्यातोन्मुख उपक्रम से भिन्न भारत में उत्पादित या विनिर्मित वैसे ही माल पर, यदि भारत में विक्रय किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के कुल योग के तुल्य रकम से अधिक ।	3क";
	(ii) 25 या 68	(ii) ग्रेनाईट और ग्रेनाईट निर्मित वस्तुएं		

(ii) सारणी के पश्चात्,परिशिष्ट में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उस तक की प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"3क. यदि-

(i) उक्त माल की निकासी घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8 के उप-पैराग्राफों (क),(घ), (ड़), (छ),और (ट) के अनुसार की जाती है;

(ii) उक्त इकाई ने सकारात्मक एनएफई उपलब्ध की है;

(iii) उक्त माल पूर्णत: भारत में उत्पादित या विनिर्मित कच्ची सामग्रियों से उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है बजाय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त इकाई के निर्यातों की एफओबी मूल्य का 3 प्रतिशत तक शुल्क अदायित आयतित निविष्टि का उपयोग किया है;

(iv) उक्त इकाई ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8 (ठ) के अनुसार इस छूट के लिए विकल्प लिखित रूप में क्षेत्राधिकारी उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को सूचित किया है:

बशर्ते कि—

(क) ऐसा विकल्प घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल या उसके पश्चात् की गयी पहली निकासी के पूर्व प्रयुक्त किया हो :

बशर्ते कि वर्ष 2008-09 की शेष अवधि के लिये, ऐसा विकल्प घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पहली जून या उसके पश्चात् की गयी पहली निकासी के पूर्व प्रयुक्त किया हो;

(ख) ऐसा विकल्प वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा; और

(ग) ऐसा विकल्प एक बार दाखिल करने के पश्चात्, उक्त इकाई को शुल्क मुक्त विनिष्टि के आयात व प्रयोग की अनुमति किसी भी कारण के लिए नहीं दी जाएगी; और

(v) उक्त माल, यदि निर्यातोन्मुख उपक्रम से भिन्न यूनिट द्वारा विनिर्मित और निकासी किया गया है तो उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्राप्त नहीं है या शुल्क की 'कुछ नहीं ' दर से प्रभार्य नही है।"।

[फा. सं. डीजीईपी/एफटीपी/13/2008-ईआंयू एंड जी एंड जे]

असीम कुमार अवर सचिव

टिप्पण :— (1) मूल अधिसूचना सं. 22/2003-केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 (i) में संख्या सा.का.नि. 265(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 24/2008-केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 द्वारा संख्या सा.का.नि. 282(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के जरिए किया गया था ।

(2) मूल अधिसूचना सं. 23/2003-केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक, 31 मार्च, 2003,भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3(i) में संख्या सा.का.नि. 266(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 10/2008-केन्द्रीय उत्पाद, दिनांक 1 मार्च, 2008 द्वारा संख्या सा.का.नि. 138(अ), दिनांक 1 मार्च, 2008 के जरिए किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2008

No. 26/2008-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 335(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of Section 3 of Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles)Act,1978 (40 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall lbe amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	22/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 G.S.R. 265(E), dated the 31st March,2003	In the said notification, — (i) in the condition (4) of opening paragraph, in clause (a) , after sub-clause (ii), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :— "Provided that - (a) where no SION have been notified, the generation of waste, scrap and remnants up to 2% of input quantity shall be allowed; (b) where additional items other than those given in SION are required as input or where generation of waste, scrap and remnants is beyond 2% of the input quantity, use of such goods shall be allowed on the basis of self-declared norms till such norms are fixed on *ad hoc* basis by the jurisdictional Development Commissioner within a period of three months from the date of self declared norms and the unit shall undertake to adjust the self-declared/*ad hoc* norms in accordance with norms as finally fixed by the Norms Committee for the unit. The *ad hoc* norms will continue till such time the final norms are fixed by the Norms Committee; (c) in case of utilization of a large number of inputs, wide variation in quantum of consumption of inputs or such other factors which render such fixation of SION difficult in the case of a particular unit, the Norms Committee may refer the case to the Board of Approval for a decision."; (ii) in the paragraph 8, after the proviso, in the clause (i), for the words "such clearance or debonding of capital goods may be allowed on payment of an amount equal to the excise duty on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of debonding or clearance, as the case may be," the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
		" such clearance or debonding of capital goods may be allowed on payment of an amount equal to the excise duty on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of debonding or clearance, as the case may be, if the unit has fulfilled the positive NFE criteria taking into consideration the depreciation allowable on the capital goods at the time of clearance or debonding. In case of failure to achieve the said positive NFE, the depreciation shall be allowed on the value of capital goods in the same proportion as the achieved portion of NFE."; (iii) after paragraph 13, in the Explanation , after serial number (xii) and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:— "(xiii) "Norms Committee " means the Norms Committee in the Directorate General of Foreign Trade, for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by the Director General of Foreign Trade."
2.	23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003, G.S.R. 266(E), dated the 31st March,2003.	In the said notification, (i) in the Table, after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3A	(i) 50 to 63; (ii) 25 or 68	(i) Textile and textile articles; (ii) Granite and granite articles	In excess of an amount equal to the aggregate of duties of excise leviable under section 3 of the Central Excise Act, 1944 or under any other law for the time being in force on like goods produced or manufactured in India other than in an export oriented undertaking, if sold in India.	3A";

(ii) after the Table, in the Annexure after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be inserted, namely:-

"3A. If-

(i) the said goods are cleared into Domestic Tariff Area in accordance with sub-paragraphs (a), (d), (e), (g) and (k) of Paragraph 6.8 of the Foreign Trade Policy;

(ii) the said unit has achieved positive Net Foreign Exchange Earning;

(iii) the said goods are produced or manufactured by the unit wholly from the raw materials produced or manufactured in India except the use of duty paid imported imputs upto 3% of the FOB value of exports of the said unit in the preceding financial year;

(iv) the said unit exercises an option in terms of Para 6.8(1) of the Foreign Trade Policy for availing this exemption by informing in writing to the jurisdictional Deputy/Assistant Commissioner of Customs or Central Excise:

Provided that-

(a) such option is exercised before effecting first clearances into Domestic Tariff Area on or after 1st day of April in any financial year:

Provided that for the remaining period of the year 2008-09, such option shall be exercised before effecting first clearances in Domestic Tariff Area on or after 1st June, 2008;

(b) such option shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year; and

(c) once such option is exercise, the unit shall not be allowed to import or utilize duty free imputs for any purpose; and

(v) the said goods, if manufactured and cleared by a unit other than an export oriented undertaking are not wholly exempt from duties of Excise or are not chargeable to "NIL" rate of duty."

[F. No. DGEP/FTP/13/2008-EOU & G & J]

ASEEM KUMAR, Under Secy.

Note: (1) The principal notification No. 22/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i) *vide* G.S.R 265 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 24/2008-Central Excise, dated the 11th April, 2008 published *vide* G.S.R. 282(E), dated the 11th April, 2008

(2) The principal notification No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i) *vide* G.S.R. 266 (E), dated the 31st March, 2003 and last amended by notification No. 10/2008-Central Excise, dated the 1st March, 2008 published *vide* G.S.R. 138(E), dated the 1st March, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.